न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–136/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. छीतर पुत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम नांगल रटावत तहसील अलवर मृतक जरिये वारिस
   1/1 मम्मन खां पुत्र श्री छीतर जाति मेव निवासी नांगल रटावत तहसील व जिला अलवर

.... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. सांवलिया पुत्र श्री काला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 1/1 कमलखां पुत्र श्री सांवलिया जाति मेव,
 1/2 सलैम खां पुत्र श्री सांवलिया जाति मेव निवासी नांगल रटावत
2. फूलू पुत्र श्री मुरली जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 2/1 धनमत पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिस
 2/1/1 शौराब पुत्र श्री धनमत जाति मेव
 2/2 सुब्बू पुत्र श्री धनमत जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 2/2/1 अज्जी पुत्र श्री सुब्बू जाति मेव
 2/2/2 फक्की पुत्र श्री सुब्बू जाति मेव
 2/3 मेहराब पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिस
 2/3/1 मंगल पुत्र श्री मेहराब जाति मेव निवासी नांगल रटावत
3. नूरबक्श पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 3/1 रहमुद्दीन पुत्र श्री नूरबक्श जाति मेव निवासी दानी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़

......................असल रेस्पोडेण्टान/वादीगण

4. चन्द्रभान पुत्र श्री छोटक्या जाति मेव (फौत लाऔद)
5. गटरू पुत्र श्री बख्तावर जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 5/1 हण्डू पुत्र श्री गटरू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 5/1/1 सुमान खां पुत्र श्री हण्डू जाति मेव
 5/2 सूखा पुत्र श्री गटरू जाति मेव
6. मटरू पुत्र श्री लाला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 6/1 हूरमत पुत्र श्री मटरू जाति मेव
7. मल्लू पुत्र श्री उम्मेद जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
 7/1 मंघन पुत्र श्री मल्लू जाति मेव निवासी जाटोली

62/

7/2 रहमत पुत्र श्री मल्लू जाति मेव निवासी जाटोली
8. छोटा पुत्र श्री मामला जाति मेव (पाकिस्तान गया)
9. खुदाबक्श पुत्र श्री गुट्टी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
10. छोटा पुत्र श्री रूडा जाति मेव (पाकिस्तान गया)
11. महासिंह पुत्र श्री रूडा जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
11/1 अब्दुल पुत्र श्री महासिंह जाति मेव,
11/2 मूसा पुत्र श्री महासिंह जाति मेव,
11/3 अशरफ पुत्र महासिंह जाति मेव निवासी ग्राम नांगल रटावत
12. मानसिंह पुत्र श्री रूडा जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
12/1 दीना पुत्र श्री मानसिंह जाति मेव,
12/2 गौरी पुत्र श्री मानसिंह जाति मेव निवासी नांगल रटावत
13. गुमानी पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
14. अडमा पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
15. छोटू पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
16. रणमल पुत्र श्री धनसिंह जाति मेव निवासी नांगल रटावत
17. निवाज खां पुत्र श्री मामला जाति मेव (पाकिस्तान गया)
18. नोपला पुत्र श्री टूण्डू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
18/1 हिम्मत पुत्र श्री नोपला जाति मेव, मृतक जरिये वारिसान
18/1/1 रज्जाक पुत्र श्री हिम्मत जाति मेव,
18/1/2 शहजाद पुत्र श्री हिम्मत जाति मेव,
18/1/3 खुस्सी पुत्र श्री गोपाल जाति मेव निवासी नांगल रटावत
19. रहीम खां पुत्र श्री भीकया जाति मेव (फौत लाऔलाद)
20. करीब पुत्र श्री भौकला जाति मेव निवासी नांगल रटावत
21. मामला पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (पाकिस्तान गया)
22. सिमरू पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (फौत लाऔलाद)
23. भौन्दू पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (पाकिस्तान गया)
24. छंग्या पुत्र श्री बाजखां जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
24/1 आसीन पुत्र श्री छंग्या जाति मेव निवासी ग्राम पिनान खेडा तहसील गोविन्दगढ
25. रौशन पुत्र श्री चिमना जाति मेव (पाकिस्तान गया)
26. घम्माली पुत्र श्री चिमना जाति मेव (पाकिस्तान गया)
27. समान खां पुत्र श्री कंवर चन्द (फौत लाऔलाद)
28. चन्दू पुत्र श्री भोला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
28/1 शिताबखां पुत्र श्री चन्दू जाति मेव निवासी नांगल रटावत
29. पोल्या पुत्र श्री फब्बा जाति मेव(फौत लाऔलाद)
30. छुट्टन पुत्र श्री फब्बा जाति मेव (फौत लाऔलाद)
31. उम्मेद पुत्र श्री भम्बड जाति मेव (फौत लाऔलाद)
32. छोटला पुत्र श्री भम्बड जाति मेव (फौत लाऔलाद)
33. भज्जू पुत्र श्री काला जाति मेव (फौत लाऔलाद)

34. आंधा पुत्र श्री जगमाल जाति मेव (फौत लाऔलाद) निवासी ग्राम नांगल रटावत तहसील अलवर सब तहसील मालाखेडा, अलवर

..........तर0 रेस्पो0/प्रतिवादी

उपस्थित :–
1. श्री भोलाराम शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विजय सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पो0।

अपील सं0:–137/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

2. छीतर पुत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम नांगल रटावत तहसील अलवर मृतक जरिये वारिस
   1/1 मम्मन खां पुत्र श्री छीतर जाति मेव निवासी नांगल रटावत तहसील व जिला अलवर

.... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

2. सांवलिया पुत्र श्री काला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   1/1 कमलखां पुत्र श्री सांवलिया जाति मेव,
   1/2 सलैम खां पुत्र श्री सांवलिया जाति मेव निवासी नांगल रटावत
2. फूलू पुत्र श्री मुरली जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   2/1 धनमत पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिस
   2/1/1 शौराब पुत्र श्री धनमत जाति मेव
   2/2 सुब्बू पुत्र श्री धनमत जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   2/2/1 अज्जी पुत्र श्री सुब्बू जाति मेव
   2/2/2 फक्की पुत्र श्री सुब्बू जाति मेव
   2/3 मेहराब पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिस
   2/3/1 मंगल पुत्र श्री मेहराब जाति मेव निवासी नांगल रटावत
3. नूरबक्श पुत्र श्री फूलू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   3/1 रहमुद्दीन पुत्र श्री नूरबक्श जाति मेव निवासी दानी का बास तहसील लक्ष्मणगढ़

.......................असल रेस्पोडेण्टान/वादीगण

4. चन्द्रभान पुत्र श्री छोटक्या जाति मेव (फौत लाऔद)
5. गटरू पुत्र श्री बख्तावर जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   5/1 हण्डू पुत्र श्री गटरू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   5/1/1 सुमान खां पुत्र श्री हण्डू जाति मेव
   5/2 सूखा पुत्र श्री गटरू जाति मेव

6. मटरू पुत्र श्री लाला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  6/1 हूरमत पुत्र श्री मटरू जाति मेव
7. मल्लू पुत्र श्री उम्मेद जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  7/1 मंग्घन पुत्र श्री मल्लू जाति मेव निवासी जाटोली
  7/2 रहमत पुत्र श्री मल्लू जाति मेव निवासी जाटोली
8. छोटा पुत्र श्री मामला जाति मेव (पाकिस्तान गया)
9. खुदाबक्श पुत्र श्री गुट्टी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
10. छोटा पुत्र श्री रूडा जाति मेव (पाकिस्तान गया)
11. महासिंह पुत्र श्री रूडा जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  11/1 अब्दुल पुत्र श्री महासिंह जाति मेव,
  11/2 मूसा पुत्र श्री महासिंह जाति मेव,
  11/3 अशरफ पुत्र महासिंह जाति मेव निवासी ग्राम नांगल रटावत
12. मानसिंह पुत्र श्री रूडा जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  12/1 दीना पुत्र श्री मानसिंह जाति मेव,
  12/2 गौरी पुत्र श्री मानसिंह जाति मेव निवासी नांगल रटावत
13. गुमानी पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
14. अडमा पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
15. छोटू पुत्र श्री घमण्डी जाति मेव (पाकिस्तान गया)
16. रणमल पुत्र श्री धनसिंह जाति मेव निवासी नांगल रटावत
17. निवाज खां पुत्र श्री मामला जाति मेव (पाकिस्तान गया)
18. नोपला पुत्र श्री टूण्डू जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  18/1 हिम्मत पुत्र श्री नोपला जाति मेव, मृतक जरिये वारिसान
  18/1/1 रज्जाक पुत्र श्री हिम्मत जाति मेव,
  18/1/2 शहजाद पुत्र श्री हिम्मत जाति मेव,
  18/1/3 खुस्सी पुत्र श्री गोपाल जाति मेव निवासी नांगल रटावत
19. रहीम खां पुत्र श्री भीकया जाति मेव (फौत लाऔलाद)
20. करीब पुत्र श्री भौकला जाति मेव निवासी नांगल रटावत
21. मामला पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (पाकिस्तान गया)
22. सिमरू पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (फौत लाऔलाद)
23. भौन्दू पुत्र श्री गुलाब जाति मेव (पाकिस्तान गया)
24. छंग्या पुत्र श्री बाजखां जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  24/1 आसीन पुत्र श्री छंग्या जाति मेव निवासी ग्राम पिनान खेडा तहसील गोविन्दगढ
25. रौशन पुत्र श्री चिमना जाति मेव (पाकिस्तान गया)
26. घम्माली पुत्र श्री चिमना जाति मेव (पाकिस्तान गया)
27. समान खां पुत्र श्री कंवर चन्द (फौत लाऔलाद)
28. चन्दू पुत्र श्री भोला जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
  28/1 शिताबखां पुत्र श्री चन्दू जाति मेव निवासी नांगल रटावत
29. पोल्या पुत्र श्री फब्बा जाति मेव(फौत लाऔलाद)

30. छुट्टन पुत्र श्री फब्बा जाति मेव (फौत लाऔलाद)
31. उम्मेद पुत्र श्री भम्बड जाति मेव (फौत लाऔलाद)
32. छोटला पुत्र श्री भम्बड जाति मेव (फौत लाऔलाद)
33. भज्जू पुत्र श्री काला जाति मेव (फौत लाऔलाद)
34. आंधा पुत्र श्री जगमाल जाति मेव (फौत लाऔलाद) निवासी ग्राम नांगल रटावत तहसील अलवर सब तहसील मालाखेडा, अलवर

..........तर0 रेस्पो0/प्रतिवादी

उपस्थित :–
3. श्री भोलाराम शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
4. श्री विजय सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.10.2020

प्रस्तुत दोनों अपील विद्वान सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय दिनांक क्रमशः 28.05.1954 एवं 20.05.1947 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अदालत में एक वाद बाबत तकसीम आराजी का पेश किया। मौजूदा वाद में जो प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.05.1947 सादिर फरमाई गई थी उसके अनुसार ना तो मौके पर कुर्रेजात तैयार किये गये हैं और ना ही उसके अनुसार फाईनल डिक्री सादिर फरमाई है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादीगण के हिस्से की जमीन के कुर्रेजात बनवाकर फाईनल डिक्री जारी की है जो कानूनन गलत है। कानूनन सभी पक्षकारान के हिस्से के अनुसार कुर्रेजात बनवाये जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी को अलग अलग कायम किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फाईनल डिक्री में अन्य आराजीयात के साथ साथ आराजी खसरा नंबर 296 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा वादी सांवलिया के हिस्से में गलत तौर पर दिया है जबकि उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 296 से सांवलिया का कोई ताल्लुक वा वास्ता किसी प्रकार का नही है और ना कभी उसका कब्जा रहा है और ना ही वर्तमान समय में उसके वारिसान का कब्जा है बल्कि वो गैर काबिज है।आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 296 मिन अपीलांट के पिता श्री छीतर बहिस्से कब्जेकाश्त की आराजी है व समस्त कागजात माल में मिन अपीलांट के पिता का नाम दर्ज चला आ रहा है।उक्त वाद के विचारण के दौरान उक्त वादीगण ने दिनांक 28.05.2012 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 जाब्ता दीवानी पेश किया व उस प्रार्थना पत्र के साथ मौजूदा प्रकरण में जो कुर्रेजात बनाये गये थे, उसकी नकल पेश की, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2012 को स्वीकार की गई, किन्तु उस दिन मिन अपीलांट न्यायालय में हाजिर नही था और मिन अपीलांट कुछ समय बाहर होने के कारण उसकी जानकारी नही हो सकी थी।तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.1947 एवं 28.05.1954 से व्यथित होकर ये दोनों अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश किया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा मुख्य बहस से पूर्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करना चाही।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पो0 ने इकतरफा में मिन अपीलांट को बिना सूचना दिये वाद डिक्री करा लिया। मिन अपीलांट के पिता का भी स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो जाने के कारण मिन अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही हो सकी। दिनांक 01.09.2012 को अपने वकील साहब से संपर्क करने पर मिन अपीलांट को उक्त हालात की जानकारी हुई। अतः उक्त हालात पर गौर फरमाया जाकर उपरोक्त समय इब्तदाय 28.05.1954 लगायत 17.09.2012 तक का समय बवजह लाइल्मी के कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट कण्डोन फरमाया जावे।अपीलांट के हक हकूक उक्त आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त देरी जेर दफा 5 कानून मियाद माफ की जाकर मुजरा दी जावे व अपील अपीलांट अंदर मियाद करार दी जावे।

जबाव बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में असाधारण विलम्ब किया है। यहां तक कि इतने लम्बी समयावधि में अपील पेश कर होने वाले विलम्ब के एक एक दिन का स्पष्ट कारण अपीलांट द्वारा नही बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कभी भी इतने लम्बे समयान्तराल पर नरम रूख नही अपनाया है। चूंकि अपील पेश करने में अपीलांट द्वारा असाधारण विलम्ब किया गया है इसका कोई ठोस कारण नही है।जिस कारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।
आरआरटी 2007(2) पेज 939, आरआरटी 2001(2) 1105, आरआरडी 1999 152 एचसी, आरआरटी 2009(1) 488, आरआरटी 2006(2) 1092 एचसी, आरआरटी 2015(1) 168.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.1947 एवं 28.05.1954 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं क्योंकि अपील पेश करने में 21000 दिनों से अधिक का असाधारण विलम्ब है। असाधारण विलम्ब के कारण, स्पष्ट, उचित व सम्यक् नही हैं। न्यायालय द्वारा सहानुभूति के आधार पर विलम्ब का शमन नही किया जा सकता है। विलम्ब के शमन के लिये पर्याप्त कारण नही दिया। अपील पूरी तरह से कालातीत है।

1996(1) आरएसआर पेज 714, 1998 एआईआर एससी पेज 227, 2000 आरएलआर(2) पेज 258 एवं अन्य नजीरों द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय सभी उच्च

न्यायालयों का मत एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिये मार्गदर्शन का यही सार है कि लम्बी से लम्बी देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जबकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को संतुष्ट कर देवे। यदि ऐसा नही कर सकता है अथवा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषजनक, पर्याप्त या विश्वसनीय नही है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नही किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को राज्य सरकार अथवा निजी पक्षकार दोनों पर समान रूप से लागू होना माना गया है। उपरोक्त उल्लेखित नजीरों से बाध्य होते हुये न्यायालय वर्तमान अपील को अपीलांट की ओर से दायर करने में की गई 21000 दिनों से भी अधिक समय की देरी को क्षमा योग्य नही मानता है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.05.1947 एवं 28.05.1954 का है। अतः अपील पेश करने में असाधारण घोर देरी की है। इसके भी प्रार्थना पत्र में उचित, स्पष्ट, व सम्यक् कारण पेश नही किये गये हैं। इस कारण अपील पूरी तरह से कालातीत है एवं देरी शमन योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट धारा 5 लिमिटेशन एक्ट उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 28.05.1954 एवं 20.05.1947 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Sd/- 29/10/20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर